 <p>ORIENTAL</p>	<p>From : PENSION DEPTT. HEAD OFFICE NEW DELHI</p>	<p>To: DY. GENERAL MANAGER/ CHIEF REGIONAL MANAGER R.O.,</p>	<p>Date: 28/11/2018</p>
--	---	---	------------------------------------

HO/ Pen/LC/2019/CR- 8202

Re. : Life Certificate and Certificate of Remarriage/ Non-Marriage as on 1/1/2019 to be furnished by all existing pensioners/ family pensioners.

As you are aware, that every year all existing pensioners/ family pensioners are required to submit their Survival Certificate on or after the 1st day of the concerned calendar year. This is mandatory requirement to enable us to confirm their survival to LIC so they receive uninterrupted pension from LIC. We enclose herewith a proforma of existing Life Certificate (for your ready reference) to be obtained from the existing pensioners/ family pensioners which should be duly attested by a Class-I officer of the nationalized General Insurance Companies/GIC Re/Gazetted Officer/Registered Medical Practitioner with registration number/ Bank Manager (where the pensioner/ family pensioner holds his/her savings bank account for pension) with complete details viz. Name, Designation, Office Address etc.

After obtaining the Life Certificates as mentioned above, you are required to check the correctness of the same. After ensuring yourself that the Life Certificates received by you are in order, please send us a list of pensioners/ family pensioners of your RO whose Life Certificates **have been received** by you as on 15/1/2019 by mentioning their following details.

- 1) Name of the pensioner/ family pensioner
- 2) Salary Roll No.
- 3) Annuity No.
- 4) Remarks, if any.

In addition to the above, you are also advised to provide us a separate list giving complete details of pensioners/ family pensioners of **other regional offices who have submitted** their Life Certificates at your RO and were duly accepted by you, giving an additional detail of their RO.

Please note that the physical life certificates are to be retained by Regional offices.

We shall be sending the list of pensioners/ family pensioners who have submitted their life certificates to the LIC of India on time bound basis as they have to discontinue remittance of pension/ family pension to defaulters.

While accepting the Life certificates from the pensioners/ family pensioners, you may obtain a mandate of ECS in favour of LIC (a proforma enclosed for your reference) and a self attested copy of PAN from those who have not yet submitted, or if there are any changes.

Since the information contained in Life Certificate is of vital importance, the list should be signed by the Regional Manager and sent to the Pension Deptt., HO on priority, **latest by 16/1/2019**, along with a soft copy in MS Excel/ Open Office calc. on the following Email Ids.

skumar.gupta@orientalinsurance.co.in,
anupgarg@orientalinsurance.co.in,
deepika.tandon@orientalinsurance.co.in.

Please treat this as extremely urgent and ensure compliance. In the meantime, kindly acknowledge the receipt.


 (S.K.Gupta)
 CHIEF MANAGER


Hindi Version Follows

**Enclosure: 1. Performa of Life Certificate on new format
2. Mandate of ECS in favour of LIC**

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
"ORIENTAL HOUSE", A-25/27 ASAF ALI ROAD
- NEW DELHI-110 002

ANNEXURE-26

GENERAL INSURANCE (EMPLOYEES') PENSION SCHEME-1995
LIFE CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY PENSIONER /FAMILY PENSION ON OR AFTER 1ST JANUARY

This certificate should be signed by a Class-1 Officer of the Nationalised General Insurance Companies/GIC Re or A Gazetted Officer or a Registered Medical Practitioner with Registration No. or Bank Manager who should give his complete details viz Name, Designation, Office Address etc.

In case of Family Pension :- Family Pensioner as well as Attesting Officer should duly complete both Life Certificate (Annexure-26) as well as Certificate of Non marriage/Re-marriage as the case may be (Annexure-26 A)

THIS CERTIFICATE SHOULD NOT BE SIGNED/ATTESTED ON A DATE PRIOR TO 1ST JANUARY

Certified that I have seen the Pensioner / Family Pensioner **Mr/Ms** _____ who has signed this certificate in my presence and that he/she is alive on this date.

Issued at _____ this _____ day of _____ 201__

Signature of Attesting Officer		Signature of Pensioner / Family Pensioner	
Name of the Attesting Officer		Name of the Pensioner / Family Pensioner	
Designation & S.R.No.		Designation at the time of Retirement	
Complete Office Address		Salary Roll No.	
		Annuity Number	
Date		Office from where Retired	
Place		Controlling RO or HO	
		Mobile No.	
		Email Address	

ANNEXURE-26 A

CERTIFICATE OF NON-MARRIAGE/RE-MARRIAGE
APPLICABLE FOR FAMILY PENSIONERS ONLY

A) I hereby declare that I am not Re-married. (applicable in the case of wife/husband of an Ex-employee)


OR

B) I hereby declare that I am not married (applicable in the case of daughter of an employee).

(TICK A OR B whichever is applicable)

I hereby declare that I undertake to report such an event to the Company immediately on its happening.

Signature of Attesting Officer		Signature of Pensioner / Family Pensioner	
Name of the Attesting Officer		Name of the Pensioner / Family Pensioner	
Designation & S.R.No.		Name of the Deceased Employee	
Complete Office Address		Salary Roll No.	
		Annuity Number	
Date		Office from where Retired	
Place		Controlling RO or HO	
		Mobile No.	
		Email address	

 Oriental Insurance ओरिएण्टल इश्योरेंस	प्रेषक : पेंशन विभाग प्रधान कार्यालय नई दिल्ली	प्रति : पेंशन कक्ष, सभी क्षेत्र.का./ओएसटीसी/ प्रधान कार्यालय (प्रशासन)	दिनांक : 28/11/2018
--	--	--	-------------------------------

परिपत्र सं. – HO/Pen/LC/2019/CR- 8202

विषय: सभी विद्यमान पेंशनकर्ताओं/फैमिली पेंशनकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.01.2019 को जीवन प्रमाण-पत्र तथा पुनर्विवाह/पुनर्विवाह न करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।

जैसा कि आप जानते हैं कि सभी विद्यमान पेंशनकर्ताओं/फैमिली पेंशनकर्ताओं को संबंधित कैलेण्डर वर्ष के पहले दिन या इसके पश्चात् अपना जीवित प्रमाण-पत्र जमा करना होता है। यह अनिवार्य अपेक्षा है जिससे हम एलआईसी को उनके जीवित होने की पुष्टि कर सकते हैं तथा जिससे हम एलआईसी से बिना रूकावट पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं। हम विद्यमान पेंशनकर्ताओं/फैमिली पेंशनकर्ताओं से प्राप्त किए जाने वाले विद्यमान (आपके तत्काल संदर्भ हेतु) जीवन प्रमाण-पत्र का प्रोफार्मा यहां इसके साथ संलग्न कर रहे हैं जिसे राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा कंपनियों/जीआईसी-री के श्रेणी-1 अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी, रजिस्टर्ड चिकित्सक के नंबर सहित रजिस्ट्रेशन पूर्ण व्यौरे अर्थात् नाम, पदनाम, कार्यालय का पता इत्यादि सहित बैंक प्रबंधक (जहां पर पेंशनकर्ता/फैमिली पेंशनकर्ता का अपना बचत खाता होता है) द्वारा विधिवत् रूप से भरा जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित किए गए अनुसार जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आपको इसकी सत्यता जांच करनी होगी। आपके द्वारा प्राप्त जीवन प्रमाण-पत्र की सत्यता सुनिश्चित करने के पश्चात्, कृपया अपने क्षेत्रीय कार्यालय के पेंशनकर्ताओं/फैमिली पेंशनकर्ताओं की सूची हमें भिजवाएं जिनके जीवन प्रमाण-पत्र निम्नलिखित व्यौरे सहित दिनांक 15.01.2019 को प्राप्त किए गए हैं:-

1. पेंशनकर्ताओं/फैमिली पेंशनकर्ताओं के नाम
2. वेतन क्रमांक
3. वार्षिकी संख्या
4. टिप्पणी, यदि कोई है तो।

उपरोक्त के अलावा, आपको यह भी सूचित किया जाता है कि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के उन पेंशनकर्ताओं/फैमिली पेंशनकर्ताओं के, जिन्होंने अपने जीवन प्रमाण-पत्र आपके क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाएं हैं और आपने स्वीकृत किए हैं, पूर्ण व्यौरे सहित अलग से सूची के साथ अपने क्षेत्रीय कार्यालय का अतिरिक्त विवरण देते हुए हमें भिजवाएं।

कृपया नोट करें कि जीवन प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ही रखे जाएंगे।


हम उन पेंशनकर्ताओं/फैमिली पेंशनकर्ताओं की सूची निर्धारित समय सीमा के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम को भिजवा देंगे जिन्होंने समयबद्ध अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दिया है, इस प्रकार चूककर्ताओं की पेंशन/फैमिली पेंशन की अदायगी को बंद कर दिया जाएगा।

पेंशनकर्ताओं/फैमिली पेंशनकर्ताओं से जीवन प्रमाण-पत्र स्वीकार करते समय आपको एलआईसी के पक्ष में ईसीएस के लिए अधिकृत पत्र को प्राप्त करना भी अनिवार्य है तथा जिन्होंने आज तिथि तक पैन नंबर की स्वयं प्रमाणित प्रति को भिजवाया नहीं है अथवा यदि इसमें कुछ बदलाव है तो उनसे स्वयं प्रमाणित प्रति पैन की प्रति भी लें।

चूंकि जीवन प्रमाणपत्र में समाहित जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः इसे क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा निम्नलिखित ईमेल आईडी पर एमएस एक्सेल/ओपन ऑफिस- calc में सॉफ्ट कॉपी सहित दिनांक 16.01.2019 तक प्राथमिकता आधार पर पेंशन विभाग को भेजा जाए:-

skumar.gupta@orientalinsurance.co.in
anupgarg@orientalinsurance.co.in
deepika.tandon@orientalinsurance.co.in

कृपया इसे अत्यंत अनिवार्य समझा जाए तथा अनुपालन सुनिश्चित करें। इस दौरान कृपया इसकी पावती दें।


 (एस.के. गुप्ता)
 मुख्य प्रबंधक
 श्रीपति अग्रवाल

- संलग्न: 1. जीवित प्रमाणपत्र का नया प्रोफार्मा
 2. एलआईसी के पक्ष में ईसीएस प्रोफार्मा

डे ओरिएण्टल इश्योरंस कंपनी लिमिटेड
ओरिएण्टल हाऊस, प्रधान कार्यालय, ए-25/27 आसफ अली रोड
नई दिल्ली - 110002

परिशिष्ट-26

साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना-1995 1 जनवरी, 201 को या
 उसके बाद पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों द्वारा जमा किए जाने वाले जीवन प्रमाण-पत्र

*इस प्रमाण-पत्र पर राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा कंपनियों/साधारण बीमा कंपनी (पुनर्बीमा) के श्रेणी-1 के अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या पंजीकृत मेडीकल चिकित्सक के पंजीकरण संख्या सहित हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उसका अपना पूर्ण पता जैसे कि नाम, पदनाम, कार्यालय का पता इत्यादि होना चाहिए।

परिवार पेंशन के मामले में : परिवार पेंशन भोगी तथा सत्यापित करने वाला अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-26) तथा पुनः विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र जैसा भी मामला हो (परिशिष्ट-26ए) दोनों विधिवत रूप से भरे जाएं।

1 जनवरी, 201 से पहले इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर/सत्यापित नहीं किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी और परिवार पेंशन भोगी श्री/सुत्री....., जिसने मेरी उपस्थिति में इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, को व्यक्तिगत रूप से देखा है और यह आज की तिथि में जीवित है।
201 के इस.....दिन को
से जारी

*सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर		पेंशन भोगी और परिवार पेंशन भोगी के हस्ताक्षर	
सत्यापन अधिकारी का नाम		पेंशन भोगी और परिवार पेंशन भोगी का नाम	
पदनाम एवं वेतन क्रमांक		सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	
कार्यालय का पूरा पता		वेतन क्रमांक	
		वार्षिकी सं.	
तिथि स्थान		जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हों नियंत्रणकर्ता क्षेत्रीय कार्यालय / प्रधान कार्यालय	
		मोबाईल नं.	
		वर्तमान आवासीय पता	

परिशिष्ट-26-ए

पुनः विवाह करने/पुनः विवाह न करने का प्रमाण-पत्र
केवल परिवार पेंशन भोगियों पर ही लागू

- क. मैं एतद्वारा घोषित करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ (मृत कर्मचारी की पत्नी/पति के लिए)
अथवा
 ख. मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैंने पुनः विवाह नहीं किया (मृत कर्मचारी की पुत्री के लिए)

(“क” अथवा “ख” जो लागू हो उसे टिक करें)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि किसी भी घटना के घटित होने पर मैं तत्काल ही कंपनी को इसकी सूचना देने के लिए वचनबद्ध हूँ।

*सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर		पेंशन भोगी / परिवार पेंशन भोगी के हस्ताक्षर	
सत्यापन अधिकारी का नाम		पेंशन भोगी / परिवार पेंशन भोगी का नाम	
पदनाम एवं वेतन क्रमांक		मृत कर्मचारी का नाम	
कार्यालय का पूरा पता		वेतन क्रमांक	
		वार्षिकी सं.	
तिथि स्थान		जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हों नियंत्रणकर्ता क्षेत्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय	
		मोबाईल नं.	
		ई-मेल पता:-	



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
 P&GS Deptt, DO-I,

SDP-24,000Forms-12/10

Phone : (011)23350678, 23314970, 23354984
 FAX : 011-23350832
 Toll Free : 1800118899

" Jeevan Prakash", 7th Floor
 25, Kasturba Gandhi Marg,
 New Delhi-110001

OPTION FOR ANNUITY PAYMENT BY NEFT/ECS

The following is a confirmation of my bank account details and I here by affirm my choice to opt for payment of annuity through NEFT/ECS. I understand that LIC Of INDIA also reserves the right to send the annuity payable to me by a physical cheque on account of any unforeseen circumstances beyond the control of LIC OF INDIA, that may affect payment of annuity through NEFT/ECS.

Annuity_no :

Annuitant's Name

Bank Name

Bank Branch

Bank Account type (SB / Current)

Bank Account Number

-IFSC Code (For NEFT Payment)

MICR No. (For ECS Payment)

In case NEFT / IFSC code is not printed on your cheque, kindly obtain it from your bankers.

Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of your bank cheque with above particulars.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold LIC responsible. I agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the scheme.

Land Line of annuitant

Mobile No of annuitant.....

e-mail-id of customer

PAN No of annuitant

Date.....

Signature of annuitant